अपील सूचना अधिकार संख्या 148/2020 (GCMS 2020/00265) हरपाल सिंह सुधन, एडवोकेट पुत्र महताब सिंह, चैम्बर नं. 5ए, कचहरी परिसर, रायसिंहनगर (मोबाईल नं 96678–61073) बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

16.11.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह उपस्थित नहीं हुआ। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.09.2020 से लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26.11.2020 को पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.09.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

> प्रार्थी को प्रार्थी की माता सुरेन्द्र कौर पुत्री दलीप सिंह कौम खत्री, साकिन जजोर कंदो, तहसील कोटली जिला मीरपुर (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) को ग्राम 38 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नंबर 29 की 24.10 बीघा के ऐवज में जो श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलैक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर द्वारा सन् 1952 से 1956 के मध्य ग्राम 3 एल.सी.(ए) तहसील श्रीविजयनगर (तत्कालीन अनूपगढ) के मुरब्बा नंबर 5 की 25 बीघा आवंटन किया गया, वह तबादला आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि डाक द्वारा भिजवाए जाने की कृपा की जाए।

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई / 2020 / 1478 दिनांक 10.12.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके प्रासंगिक पत्र के साथ साथ प्राप्त अपील इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। अतः मूल पत्र के साथ संलग्न कर वापिस भिजवायी जा रही है।
>
> **संलग्न : उपरोक्तानुसार।**
>
> -sd-
> सहायक लोक सूचना अधिकारी
> एवं उपखण्ड अधिकारी,
> श्रीगंगानगर

प्रार्थी ने अपनी अपील के साथ उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के पत्र दिनांक 16.10.2020 की प्रति संलग्न की है, जिसमें प्रसंग के अनुसार अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ 41(5)( ) राजस्व / 2020 / 2913 दिनांक 05.10.2020 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को प्रेषत किया है और उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्र दिनांक 16.10.2020 से अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी पुर्नवास, श्रीगंगानगर को निम्नानुसार लिखते हुए प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:46 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री हरपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में तहसील रायसिंहनगर के गांव 38 एनपी के मुरब्बा नं. 29 की 24.10 बीघा भूमि के ऐवज में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर द्वारा सन् 1952 सें 1956 के मध्य ग्राम 3 एलसी ए, तहसील श्रीजिवयनगर (तत्कालीन अनूपगढ) के मुरब्बा नं. 5 की 25 बीघा का आवंटन किया गया, उस तबादला आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है। उक्त सूचना पुर्नवास की है जो आपके लोक प्राधिकार से संबंधित है। अतः मूल आवेदन पत्र इस पत्र के संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्न : मूल आवेदन पत्र

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर एवं श्रीगंगानगनर ने अपीलार्थी को आज दिनांक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई हैं। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के उक्त पत्र दिनांक 16.10.2020 के अनुसार सूचना उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित है और उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्र दिनांक 10.12.2020 के अनुसार प्रार्थी की अपील उनके कार्यालय से सम्बन्धित नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर दोनों को प्रतिप्रेषित (Remand) की जानी उचित होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की **अपील उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है** और उपखण्ड अधिकारी, रायसिहनगर एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को **आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में सर्वप्रथम कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में निर्णय लेवें एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत देय सूचनाएं अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवावें। **अपीलार्थी को भी चाहिए कि वह भी उक्त पूर्व तबादला के बारे में पूर्ण विवरण लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध करवा दें ताकि वांछित सूचना उसे नियमानुसार उपलब्ध हो सके।** आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:46 IST
Reason: SelfAttested